पत्र संख्या-चे0पो0-25क-कोयला-10-11 / 1011023

/वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिश्नर , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(चेकपोस्ट अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 21जून 2010

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर / एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2/
संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण /ज्वाइन्ट कमिश्नर /
डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी ,
वाणिज्य कर विभाग , उत्तर प्रदेश ।

key Word 1-47/ Import / verification of form/ penalty

विषय :- कोयला व्यापारियों / निर्माता व्यापारियों द्वारा ईधन से भिन्न प्रयोग हेतु प्रान्त बाहर से कोयला आयात करने पर आयात घोषणा पत्र जारी करते समय जमानत लिए जाने के संबंध में ।

कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्या-25क-371 दिनांक 29-4-05 का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा रेल मार्ग से आयातित कोयले पर रु0 170/- प्रति मीट्रिक टन तथा सड़क मार्ग से आयातित कोयले पर रु0 200/- प्रति मीट्रिक टन की दर से अग्रिम कर के रुप में जमानत जमा कराकर आयात घोषणा पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये थे । तत्समय कोयले के बी0सी0सी0एल0 से प्राप्त निम्न मूल्यों के आधार पर प्रति मीट्रिक टन मूल्य का ऑकलन करते हुये उपर्युक्तानुसार जमानत राशि का निर्धारण किया गया था :-

क्र0 सं0	कोयले की किस्म	15 प्रतिशत (दि0 16-10-04)से कम कोल ऐश वाले कोयले का मूल्य प्रति टन रुपये में	15 प्रतिशत (दि0 16-10-04) से 18 प्रति0 कोल ऐश वाले कोयले का मूल्य प्रति टन रुपये में	औसत मूल्य
1	स्टीम कोल	2905	3385	3145
2	स्लैक कोल	2755	3235	2995
3	आर0ओ0एम0	2740	3220	2980
			औसत मूल्य	3040

वर्तमान मे बी0सी0सी0एल0 से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 16-10-09 से उक्त कोयले की श्रेणी का मूल्य निम्नवत हो गया है :-

क्र0 सं0	कोयले की किस्म	15 प्रतिशत से कम कोल ऐश वाले कोयले का मूल्य प्रति टन रुपये में	15 प्रतिशत से 18 प्रतिशत कोल ऐश वाले कोयले का मूल्य प्रति टन रुपये में	औसत मूल्य
1	स्टीम कोल	3320	3930	3625
2	स्लैक कोल	3160	3770	3465
3	आर0ओ0एम0	3140	3750	3443
			औसत मूल्य	3513

उपर्युक्त के अतिरिक्त कोयले के माल भाड़े तथा अन्य खर्चों में भी वर्ष 2005 की अपेक्षा काफी वृद्धि हो गयी है । उपर्युक्त वृद्धियों को दृष्टिगत रखते हुये तात्कालिक प्रभाव से **सड़क मार्ग से** आयात किये जाने वाले कोयले के संबंध में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1- कोयले का केवल ईधन (फ्यूल) हेतु प्रयोग करने वाले निर्माता पंजीकृत व्यापारियों को आयात के लिये घोषणा पत्र जारी करते समय कोई जमानत नही ली जाएगी। कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा ऐसे व्यापारियों को आयात के लिये घोषणा पत्र जारी करते समय प्रत्येक प्रपत्र पर " **केवल ईधन के लिये कोयला आयात** " की मोहर लाल स्याही से लगायी जाएगी। ऐसे आयात घोषणा पत्रों पर कोयले की लायी जाने वाली मात्रा का कोई प्रतिबन्ध नही होगा किन्तु यदि आयात घोषणा पत्र (फार्म-38) पर घोषित मात्रा से अधिक कोयला आयात करते हुये पाया जाता है तो अघोषित कोयले पर करापवंचक के उद्देश्य से आयात किया जाना मानते हुये अधिक पायी गयी मात्रा पर नियमानुसार जमानत जमा करायी जाएगी तथा संबंधित कर निर्धारण अधिकारी को अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। कर निर्धारण अधिकारी कोयले के ईधन के रुप मे प्रयोग करने हेतु आयात घोषणा पत्र जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि आयातित कोयले का प्रयोग निर्माता व्यापारी द्वारा निर्माण कार्य मे ही किया जा रहा है , इस छूट की आड़ मे निर्माताओं द्वारा कोयले की ट्रेडिंग / आयात घोषणा पत्र अन्य को उपलब्ध कराने का कार्य तो नही हो रहा है।

2- ईट भट्ठे की समाधान योजना अपनाने वाले ईट निर्माता व्यापारियों को ईधन के रुप मे सड़क मार्ग से कोयला आयात किये जाने हेतु कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा आयात घोषणा पत्र जारी करते समय उनसे कोई जमानत नही ली जाएगी तथा जारी किये गये आयात घोषणा पत्रों पर मोटे अक्षरों में लाल स्याही से " **ईट भठ्ठा समाधान योजना के अन्तर्गत " " ------- मात्रा ------ मीट्रिक कोयले के आयात हेतु** " की मोहर लगायी जाएगी। ईठ भठ्ठा समाधान योजना अपनाने वाले व्यापारियों को आयात घोषणा पत्र जारी करते समय कर निर्धारण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वे इस योजना के तहत अनुमन्य कोयले की मात्रा के अनुसार ही कोयले का आयात कर रहे हैं।

यह सुविधा केवल **सड़क मार्ग से** कोयला मंगाने पर **ईट भठ्ठा समाधान योजना अपनाने वाले ईट निर्माताओं को अनुमन्य होगी।** रेल मार्ग से कोयला मंगाये जाने पर निर्धारित की गयी धनराशि को नियमानुसार नगद जमा कराने के उपरान्त ही आयात घोषणा पत्र जारी किये जाएंगे।

3- कोयले का ईधन (फ्यूल) से भिन्न उद्देश्य हेतु प्रयोग करने वाले निर्माता / पंजीकृत कोयला व्यापारी जिनमें कोयले की ट्रेडिंग करने वाले व्यापारी भी है , से उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिनियम की धारा -19 (3) के अन्तर्गत नगद जमानत रु0 240/- प्रति मीट्रिक टन की दर से " **आयात के लिये घोषणा पत्र (फार्म-38)** " जारी करते समय ली जाएगी। आयात घोषणा पत्र में कोयले की मात्रा अंकित करते समय सामान्यत: व्यापारी जितना कोयला अंकित कराना चाहे उसमे आपत्ति नही होनी चाहिये व तद्नुसार ही जमानत जमा करा ली जाएगी। **ऐसे आयात घोषणा पत्रों पर " --------- (मात्रा शब्दों व अंकों में) मीट्रिक टन कोयले आयात हेतु** " की मोहर लाल स्याही से लगायी जाएगी। यदि किसी कारणवश आयात घोषणा पत्र मे घोषित मात्रा से कम कोयले का आयात संबंधित व्यापारी द्वारा आयात घोषणा पत्र से किया जाता है , तो शेष जमानत की धनराशि का लाभ अगली बार आयात घोषणा पत्र निर्गत करते समय , उसे दे दिया जाए। आयात घोषणा पत्र मे अंकित मात्रा से अधिक मात्रा मे बिल एवं बिल्टी में घोषित करके कोयले का आयात किया जाना पाया जाता है तो अंकित मात्रा से अधिक पाये गये कोयले पर नियमानुसार जमानत जमा कराकर कर निर्धारण अधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित की जाए।

4- **रेल द्वारा** कोयला आयात करने वाले व्यापारियों को आयात के लिये घोषणा पत्र (फार्म-38),बिल्टी (आर0आर0) प्रस्तुत करने पर आयात किये जा रहे कोयले के वजन को देखते हुये , **प्रति मीट्रिक टन रु0 200/-** नगद जमानत जमा कराने के उपरान्त जारी किया जाएगा। रेलवे से कोयला आयात के लिये आयात घोषणा पत्र के शीर्ष पर " **केवल रेलवे से कोयला आयात हेतु** " की मोहर लगायी जाएगी। किसी पंजीकृत व्यापारी द्वारा रेल मार्ग से आयात घोषणा पत्र मे घोषित मात्रा से अधिक मात्रा मे कोयला आयात किये जाने पाये जाने पर नियमानुसार जमानत जमाकराकर रिपोर्ट कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित की जाएगी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियमानुसार अर्थदण्ड / कर निर्धारण की कार्यवाही की जाएगी।

5- यदि किसी अपंजीकृत व्यक्ति / व्यापारी द्वारा बिना आयात घोषणा पत्र के कोयला आयात किया जाना पाया जाता है तो उससे वाणिज्य कर अधिनियम के अन्तर्गत एवं माल के प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत, दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत अलग अलग कार्यवाही करते हुये प्रत्येक अधिनियम के अन्तर्गत माल कें मूल्य के 40 प्रतिशत के बराबर

अर्थात कुल 80 प्रतिशत की धनराशि जमानत के रुप में जमा कराते हुये नियमानुसार अर्थदण्ड / कर निर्धारण की कार्यवाही की जाएगी।

6- पंजीकृत व्यापारियों के प्रकरणों में करापवंचन पाये जाने पर वाणिज्य कर एवं प्रवेश कर अधिनियम दोनों के अन्तर्गत सम्मिलित रुप से जमानत की धनराशि माल के मूल्य के 40 प्रतिशत के बराबर जमा करायी जाएगी तथा संबंधित कर निर्धारण अधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी वह अपने स्तर से नियमानुसार अर्थदण्ड / कर निर्धारण की कार्यवाही करेंगे। पंजीकृत व्यापारियों से जमानत जमा कराये जाने की सूचना प्राथमिकता के आधार पर एक सप्ताह के अंदर कर निर्धारण अधिकारी को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा।

उक्त निर्देश दिनांक---24/6/10----------------- से लागू होगे , इसका कड़ाई से पालन किया जाय।

19/6/10

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर , वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।</u>

<u>प्रलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष / निबन्धन उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर , लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण वाणिज्य कर उ0प्र0
4. प्रबन्धक , इसेंटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग, / सहायक निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ
5. महालेखाकार, 171-ए, अशोक नगर, इलाहाबाद।
6. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7. सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिसआफ दए0जी0 डिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग,इलाहाबाद
8. विकास आयुक्त,नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर-10, नोएडा।
9. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैलफेयर एसो0, 185 / 293, अमीनाबाद रोड,गणेश गंज, लखनऊ।
10. अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु,सी-15, मालएवेन्यू, लखनऊ।
11. श्री श्याम बिहारी मिश्र, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल,87/349, आर्या नगर, संगीत टाकिज के पीछे, कानपुर
12. श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ0प्र0 उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुंज, 66 शास्त्री नगर, लखनऊ।
13. श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्यस्तरीय वाणिज्यकर सलाहकार समिति 29-बी, विधायक निवास दारुलसफा, लखनऊ
14. मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 , सिविल लाइन्स, कानपुर।
15. एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एंड इण्ड0 4/180, विशाल खण्ड, पी0वी0-17,गोमती नगर, लखनऊ
16. पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एंड इंड0 1-ए, ला-प्लास, शाहनजफ रोड,लखनऊ।
17. अवध चेम्बर आफ कामर्स एंड इंड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इंड0,ऐशबाग, रोड, लखनऊ।
18. आल इडिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, डी-4 , साइट सं0-3, मेरठ रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया,गाजियाबाद।
19. कनफेडरेशन आफ इन्डियन इंड0एसोसिएशन, प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
20. राज्यस्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को संबंधितज्वाइन्टकमिश्नर(कार्य0) के माध्यम से
21. उत्तर -प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इंजीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।

22. श्री मनीष शर्मा, ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस, आर0-15/5 राजनगर , गाजियाबाद ।
23. श्रीमती इन्दु मिश्रा ,इन्दु पब्लिकेशनस , RDC-51 राजनगर , गाजियाबाद ।
24. श्री मदनमोहन भारतीय , एडवोकेट सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणउ0प्र0शासन , 26/103, बिरहाना रोड,कानपुर।
25. प्रो0श्रीमती रंजना कक्कड़, 15,टैगोर टाउन, इलाहाबाद ।
26. श्री उमंग अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी (FITA) 77/3 ए एन0के0जैन मार्केट, कुली बाजार, कानपुर ।
27. श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0नगर।
28. श्री आर0 डी0 गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।
29. श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश , 19-सुरेशबाग, कानपुर ।
30. इन्डियन इंड0एसो0 , 159/ए-8,15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर ।
31. संयोजक, टैक्सेशियों एकैडमिक एंड वेलफेयर फोरस एसो0 वेस्टर्न यू0पी0(रजि0) 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड, मेरठ ।
32. टैक्सेशन बार एसोसिएशन कार्मिशयल टैक्स बार रुम, जयपुर हाऊस , आगरा ।
33. श्री मलिक विजय कपूर, चेयरमैन, कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 50-बी,उद्योग नगर, कानपुर
34. श्री अनिल कुमार बंसल, दि0 यू0पी0 रोलर फ्लोर मिलर्स, एसो0-3 एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ ।
35. श्री दिनेश अरोरा, उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0, 51/58-ए, शक्कर पटटी, कानपुर ।
36. श्री नन्द लाल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566,राजेन्द्र नगर ,लखनऊ ।
37. श्री अरुण कुमारअवस्थी, प्रान्तीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीयउद्योग व्यापार मंडल (पंजी0) बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ
38. माननीय अध्यक्ष, वाणिज्य कर सलाहाकार समिति, सचिवालय, लखनऊ ।
39. श्री गोपाल अग्रवाल , राष्ट्रीय महामंत्री आल इंडियाउद्योग व्यापारप्रतिनिधि मंडल, 27-ए, मिशन कम्पाउन्ड, मेरठ ।
40. श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, बी0एन0रोड,अमीनाबाद, लखनऊ ।
41. अध्यक्ष, आई0 ई0ए0 इण्डियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खंड,फेस-2, गोमती नगर, लखनऊ ।
42. वैट लॉ जनरल, 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड, मेरठ ।
43. वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मंडल उपाध्यक्ष , अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (पंजी0) मंडल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा, सादाबाद गेट, हाथरस ।
44. समस्त अनुभाग / अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
45. चेकपोस्ट अनुभाग मुख्यालय को 25 प्रतियॉं अतिरिक्त ।

(पी0सी0 तिवारी)
एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ ।